

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 365/2024

1. नवजोत सिंह पुत्र कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया
वादी

बनाम

- 1 कुलविन्द्र सिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया
- 2 अमनदीप कौर पुत्री कुलविन्द्र सिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया।


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री गगन मिढा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अनिल शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 21 एमजेडी खाता सं. 42/31 जं.सं. 2072-2075 में प्रतिवादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज भूमि का वादी नवजोत सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल..........खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालांना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1.1.2025.....को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया